समाचार.प्रकाषनार्थरू.

निगम स्वामित्व की रिक्त व अतिरिक्त भूमि का होगा सर्वे

रतलाम 03 फरवरी । नगर पालिक निगम रतलाम की पूर्व न्यास की योजनाओं में उपलब्ध रिक्त व अतिरिक्त भूमियों का सर्वे एवं विस्तृत मानचित्र बनाने का कार्य प्रारंभ किया जायेगा व सर्वे उपरांत अचल संपत्ति अंतरण नियम के तहत विक्रय की कार्यवाही की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि तत्कालीन नगर सुधार न्यास ;वर्तमान में विकास षाखाद्ध द्वारा 51 आवासीय योजनाऐं बनाई गई थी। आवासीय योजनाओं में रिक्त व अतिरिक्त भूखण्डों के सर्वे का कार्य प्रारंभ किया जा रहा है इस हेतु नियुक्त कनसलटेंट को कार्यादेष भी जारी किया जा चुका है। सर्वे उपरान्त रिक्त व अतिरिक्त भूखण्डों का विक्रय अचल संपत्ति अंतरण नियम के तहत किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

कन्सलटेंट 28 फरवरी तक 100 प्रतिषत कम्पाउडिंग प्रकरण पूर्ण करें

निगम आयुक्त श्री झारिया ने समीक्षा बैठक में दिये निर्देष

रतलाम 03 फरवरी। नगर मंे अनुमति के विपरीतए स्वीकृत मानचित्र के विपरित निर्मित भवनों हेतु षासन के नवीन निर्देष अनुसार कम्पाउडिंग ;प्रषमनद्ध किये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने नगर निगम इंजीनियर व नगर निगम से लायसेंस प्राप्त कन्सलटेंट की समीक्षा बैठक लेकर 28 फरवरी तक 100 प्रतिषत कम्पाउडिंग ;प्रषमनद्ध प्रकरण पूर्ण करने के निर्देष दिये।

आयोजित बैठक में निगम आयुक्त श्री झारिया ने उपस्थित कनसलटेंटो से अब तक कितने कम्पाउडिंग ;प्रषमनद्ध तैयार किये गये है की जानकारी लेकर 10 फरवरी तक 100 व 28 फरवरी तक 100 प्रतिषत कम्पाउडिंग ;प्रषमनद्ध प्रकरण तैयार करने के निर्देष दिये साथ ही ऐसे कनसलटेंट जिन्होने अभी तक कम्पाउडिंग ;प्रषमनद्ध प्रकरण तैयार नहीं किये है उनके लायसेंस निरस्त करने के निर्देष दिये।

बैठक में निगम आयुक्त श्री झारिया ने कनसलटेंटो को निर्देषित किया कि वे अपने.अपने क्षेत्रों का सर्वे कर कम्पाउडिंग ;प्रषमनद्ध प्रकरण तैयार करें व इजीनियर से संबंधित को सूचना.पत्र जारी करवाये साथ ही संबंधित को यह भी अवगत करायें कि 30 प्रतिषत अनुमति के विपरित व बिना अनुमति के अवैध निर्माण का कम्पाउडिंग ;प्रषमनद्ध षासन निर्देषानुसार किया जा रहा है साथ ही 28 फरवरी तक लगने वाले षुल्क में 20 प्रतिषत की छूट दी जा रही है इसका लाभ उठाकर सुरक्षित रहंे।
बैठक में कार्यपालन यंत्री श्री सुरेषचन्द्र व्यासए श्री मोहम्मद हनीफ षेखए सहायक यंत्री श्री ष्याम सोनीए प्रभारी सहायक यंत्री श्री एमण्केण जैनए उपयंत्री सर्वश्री राजेन्द्र मिश्राए सुहास पंडितए बीण्एलण चौधरीए सुश्री दीक्षा निजामपुरकरए श्रीमती अनिता ठाकुरए निज सहायक श्री सुभाश गोयल सहित लायसेंस प्राप्त कन्सलटेंट उपस्थित थे।

पषु वाहन के 5 कर्मचारियों 7 दिवस का वेतन काटा

रतलाम 03 फरवरी । षहर में स्वच्छंद रूप से विचरण करने वाले मवेषियों पकड़ने हेतु गठित दल के 5 कर्मचारियों द्वारा नियमित रूप से मवेषी नहीं पकड़नेए षहर में स्वच्छंद रूप से मवेषी विचरण करते पाये जाने व प्रतिदिन पकड़े गये मवेषियों की जानकारी प्रस्तुत नहीं करने पर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देषानुसार गठित दल के कर्मचारी चरणसिंह.भरतसिंहए अय्युब.यासिनए भेरू.गणपतए राधेष्याम बाबुलाल का 7 दिवस का वेतन काटा जाकर सेवा से बर्खास्त किये जाने का कारण बताओ सूचना.पत्र जारी किया गया।

नगर निगम के विभिन्न करों से 11ण्88 लाख हुआ राजस्व प्राप्त

रतलाम 03 फरवरी । संपत्तिकरए जलकरए लायसेंसए राजस्वए विकास षाखाए बिल्डिंग परमिषन के तहत नागरिकों द्वारा जमा कराये गये करो के तहत 02 फरवरी बुधवार को कुल राषि रूपये 11ए88ए194ध्. का राजस्व प्राप्त हुआ।

नगर निगम के विभिन्न करों के तहत 03 फरवरी गुरूवार को संपत्तिकर षिविर से 117470ए कार्यालय 169599ए वसूली दल 89300 कुल 287069ए जलकर षिविर 46340ए वसूली कार्यालय 125025 कुल 171365ए कम्पाउडिंग 434484ए दुकान गुमटी किराया कार्यालय 26675 व वसूली दल 13734 कुल 40409ए बगैर मास्क वालो पर स्पॉट फाईन 1100ए लायसेंस 1640ए विकास षाखा लीजरेंट 7942ए प्रीमियम 154888 इस तरह कुल राषि रूपये 11ए88ए194ध् का राजस्व निगम को प्राप्त हुआ।

बिना अनुमति व अनुमति के विपरित 10 के स्थान पर 30 प्रतिषत अवैध निर्माण का होगा प्रषमन ;कम्पाउडिंगद्ध

रतलाम 03 फरवरी । नगरीय क्षेत्र रतलाम में बिना अनुमति तथा अनुमति के विपरित भवनों के प्रषमन ;कम्पाउडिंगद्ध के तहत 10 प्रतिषत के स्थान पर 30 प्रतिषत सीमा तक हुए अवैध निर्माण का प्रषमन ;कम्पाउडिंगद्ध किया जा सकेगा। इस हेतु लगने वाले कम्पाउडिंग षुल्क में 28 फरवरी तक 20 प्रतिषत की छूट प्रदान की जा रही है।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि मध्यप्रदेष षासन द्वारा नगरीय क्षेत्र में बिना अनुमति तथा अनुमति के विपरित भवनों के प्रषमन ;कम्पाउडिंगद्ध हेतु नियमों में संषोधन कर अब 10 प्रतिषत के स्थान पर 30 प्रतिषत की सीमा तक हुए अवैध निर्माण को नियमित करने का प्रावधान किया गया है। इस हेतु लगने वाले कम्पाउडिंग षुल्क में 28 फरवरी तक 20 प्रतिषत की छूट प्रदान की जा रही है।

रतलाम नगरीय क्षेत्र में उपरोक्त प्रकार के सभी भवनों के लिये अपने अवैध निर्माण को वैध कराने का यह सुनहरा अवसर है। नगर निगम द्वारा इस हेतु प्रमुख व्यावसायिक भवनों को सूचना पत्र भी दिये गये है।

कलेक्टर एवं निगम प्रषासक श्री कुमार पुरूशोत्तम व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया उपरोक्त प्रकार के सभी भवन स्वामियों से अपील की है कि बिना अनुमति

या अनुमति के विपरित बने अपने भवनों का प्रषमन ;कम्पाउडिंगद्ध 28 फरवरी के पूर्व करवाकर अवैध निर्माण के विरूद्ध होने वाली किसी भी संभावित कार्यवाही बचें।

किरण टॉकिज जूनी कोर्ट के पास आज लगेगा निगम का बकाया वसूली षिविर
नगर निगम द्वारा वार्ड वार बकाया वसूली षिविरो का आयोजन
नागरिकों ने उत्साह दिखाते हुए संपत्तिकर 63ण्27 लाख व जलकर 14ण्46 लाख की बकाया राषि जमा कराई

रतलाम 03 फरवरी । नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए निगम से संबंधीत करों को जमा कराने हेतु वार्ड वार बकाया वसूली षिविर आयोजित किये गये है जो 03 मार्च 2022 तक चलेंगे।
आयोजित षिविरों में नागरिक नगर निगम की बकाया संपत्तिकरणए जलकरए दुकानए गुमटी किरायाए लायसेंस षुल्क एवं विकास षाखा से संबंधित भवन की किष्त तथा भू.भाटक की बकाया राषि जमा करा सकेगें।
निगम द्वारा आयोजित षिविरों में नागरिकों ने उत्साह दिखाते हुए गांधीनगर षिविर में संपत्तिकर 3ए28ए822रू व जलकर 54ए850रू.ए मालवा नगर लक्ष्मणपुरा षिविर में संपत्तिकर 1ए62ए575रू व जलकर 34ए520रू.ए जवाहर नगर अम्बे माता मंदिर के पास षिविर में संपत्तिकर 3ए02ए013रू व जलकर 63ए450रू.ए विनोबा नगर षिविर में संपत्तिकर 1ए85ए292रू व जलकर 1ए19ए720रू.ए अलकापुरी कम्युनिटी हॉल षिविर में संपत्तिकर 3ए20ए857रू व जलकर 62ए950रू.ए तिरूपति नगर षिविर में संपत्तिकर 1ए28ए977रू व जलकर 28ए870रू.ए कोमल नगर षिविर में संपत्तिकर 2ए16ए000रू व जलकर 14ए000रू.ए इन्द्रलोक नगर मार्निंग स्टार स्कूल के पास षिविर में संपत्तिकर 2ए51ए600रू व जलकर 1ए04ए640रू.ए कस्तुरबा नगर षिविर में संपत्तिकर 8ए61ए206रू व जलकर 1ए21ए090रू.ए प्रियदर्षनी नगर षिविर में संपत्तिकर 2ए14ए000रू व जलकर 47ए000रू.ए डोंगरे नगर षिविर में संपत्तिकर

2ए54ए422६ **व जलकर** 83ए700६ए **हाट रोड षिविर में संपत्तिकर** 1ए71ए500६ **व जलकर** 27ए540६ए **कलीमी कालोनी षिविर में संपत्तिकर** 1ए96ए281६ **व जलकर** 40ए240६ए **राजेन्द्र नगर षिविर में संपत्तिकर** 1ए45ए000६ **व जलकर** 31ए760६ए **काटजू नगर षिविर में संपत्तिकर** 3ए36ए077६ **व जलकर** 72ए440६ए **वेदव्यास कालोनी षिविर में संपत्तिकर** 98ए534६ **व जलकर** 37ए465६ए **कल्याण नगर षिविर में संपत्तिकर** 87ए732६ **व जलकर** 36ए660६ए **दीनदयाल नगर षिविर में संपत्तिकर** 2ए91ए455६ **व जलकर** 92ए125६ए **बोहरा बाखल षिविर में संपत्तिकर** 4ए97ए298६ **व जलकर** 64ए770६ए **रामगढ़ षिविर में संपत्तिकर** 1ए59ए241६ **व जलकर** 28ए140६ए **लक्कड़पीठा षिविर में संपत्तिकर** 6ए11ए920६ **व जलकर** 1ए56ए600६ए **धानमण्डी षिविर में संपत्तिकर** 3ए60ए338६ **व जलकर** 1ए67ए280६ **की राषि जमा कराई।**

वार्ड वार आयोजित किये गये वसूली षिविरो के वार्ड क्रमांक 40 **व** 41 **के लिये** 4 **से** 5 **फरवरी तक जूनी कोर्ट किरण टॉकिज**ए **वार्ड क्रमांक** 28ए 29ए 36ए 37 **व** 38 **के लिये** 7 **से** 8 **फरवरी तक लॉ कॉलेज आनंद कालोनी**ए **वार्ड क्रमांक** 28 **के लिये** 9 **फरवरी को प्रताप नगर उद्यान के पास**ए **वार्ड क्रमांक** 22 **के लिये** 10 **फरवरी को महावीर नगर**ए **वार्ड क्रमांक** 39ए 40 **व** 41 **के लिये** 11 **से** 12 **फरवरी तक पैलेस रोड तिराहा**ए **वार्ड क्रमांक** 25ए 26 **व** 27 **के लिये** 14 **फरवरी को चौगानिया भेरू**ए **वार्ड क्रमांक** 24ए 25 **व** 42 **के लिये** 15 **व** 16 **फरवरी को षिक्षा विभाग सायर चबुतरा**ए **वार्ड क्रमांक** 43 **व** 45 **के लिये** 17 **व** 19 **फरवरी तक चौमुखीपुल प्याऊ के पास**ए **वार्ड क्रमांक** 41 **के लिये** 21 **से** 22 **फरवरी तक बजाजखाना गणेष देवरी**ए **वार्ड क्रमांक** 33ए 34 **व** 35 **के लिये** 23 **व** 24 **फरवरी को षास्त्री नगर सेंट्रल बैंक के पास**ए **वार्ड क्रमांक** 33 **व** 34 **के लिये** 25ए 26 **व** 28 **फरवरी को दो बत्ती चौराहा**ए **वार्ड क्रमांक** 30ए 31ए 32 **व** 34 **के लिये** 1 **से** 3 **मार्च तक स्टेषन रोड दिलबहार चौराहे पर कार्यालयीन समय में षिविर आयोजित किये गये है।**

निगम द्वारा जारी अपील में नागरिकों से अनुरोध किया गया है कि निगम द्वारा उक्त षिविर बकायादारों की सुविधा के लिए आयोजित किये गये है इन आयोजित षिविरों में बकायादार अपनी बकाया राषि जमा कर निगम को सहयोग प्रदान करें।

9805 पेंषन हितग्राहियों का हुआ भौतिक सत्यापन
पेंषन पाने वाले हितग्राही अपना भौतिक सत्यापन करवायें

रतलाम 03 फरवरी । रतलाम षहर के सामाजिक सुरक्षाए इंदिरा गांधी राश्ट्रीय वृद्धा पेंषनए राश्ट्रीय विधवा पेंषनए राश्ट्रीय निःषक्त पेंषनए सामाजिक सुरक्षा वृद्धा पेंषनए विधवा पेंषनए निःषक्त पेंषनए मानसिक बहुविकलांग पेंषन प्राप्त करने वाले हितग्राहियों का षासन निर्देषानुसार भौतिक सत्यापन किया जा रहा है जिसके तहत 03 फरवरी तक 9805 पंेषन हितग्राहियों का भौतिक सत्यापन कर 98 प्रतिषत कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

03 फरवरी को 1॰86 मिट्रिक टन कचरा जुलवानिया पंहूचा

रतलाम 03 फरवरी । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देषानुसार नगर निगम के कचरा संग्रहण वाहनों के माध्यम से घर.घर से पृथक.पृथक एकत्रित किया जा रहे गीले.सूखे कचरे व सड़को व नाले.नालियों की सफाई के दौरान निकलने वाले कचरे का प्रतिदिन वजन किया जाकर जुलवानिया टेª चिंग ग्राउण्ड पर पंहूचाया जा रहा है जिसके तहत 03 फरवरी गुरूवार को 1॰86 मिट्रिक कचरा जुलवानिया टेª चिंग ग्राउण्ड पर पंहूचाया गया।
03 फरवरी गुरूवार को डम्पर से 24925ए टेªक्टर से 9205ए काम्पेक्टर सूखा कचरा 15845ए काम्पेक्टर गीला कचरा 16425ए डम्पर मलबा 119795 किलो इस तरह कुल 186195 किलो कचरा जुलवानिया टेª चिंग ग्राउण्ड पंहूचाया गया।

3091 हितग्राही पीएम स्वनिधी के ब्याज मुक्त ऋण से लाभान्वित हुए
स्वरोजगार ऋण से 104 हितग्राही हुए लाभान्वित

पथ विक्रेता 10 व 20 हजार का ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत करें

रतलाम 03 फरवरी । नगरीय क्षेत्र रतलाम के ऐसे पंजीकृत एवं पात्र पथ विक्रेता जिन्हे प्रथम कार्यषील पूंजी हेतु ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त नहीं हुआ है तथा जिन्होने प्रथम कार्यषील पूंजी का ऋण जमा करा दिया है उन्हे संकल्प से सिद्धी विषेश अभियान के तहत 10 व 20 हजार का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने हेतु नगर निगम द्वारा निगम के झोन कार्यालयों पर ऑन लाईन आवेदन भरे जा रहे हैं।
निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि प्रथम कार्यषील पूंजी हेतु 2898 हितग्राहियों को राषि रूपये 10ए000ध् तथा द्वितीय कार्यषील पूंजी हेतु 193 हितग्राहियों को राषि रूपये 20ए000ध् ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया गया है। एनयूएलएम स्वरोजगार ऋण योजना में 102 हितग्राहियों व एनयूएलएम स्वरोजगार समूह ऋण योजना में 4 समूह को ऋण उपलब्ध कराया गया है।
पथ विक्रेताओं को ब्याज मुक्त ऋण के लिये ऑन लाईन आवेदन प्रस्तुत करने हेतु आवष्यक दस्तावेज के रूप में बैंक पास बुकए आधार कार्डए पथ विक्रेता पंजीयन कार्ड व आधार लिंक से मोबाईल नम्बर साथ लाना होगा।

अनुमति के बिना मुख्य सड़कों के किनारे निर्माण प्रारंभ पाये जाने पर नगर निगम करेगा तोड़ने की कार्यवाही
15 हजार रूपये प्रति घंटे के मान से तोड़ने की राषि होगी वसूल

रतलाम 03 फरवरी । षहर की मुख्य सड़के सैलाना रोडए सागोद रोडए महू रोडए स्टेषन रोड सहित अन्य सड़को के किनारे नगर निगम की बिना अनुमति के निर्माण प्रारंभ पाये जाने पर उन्हे तोड़ने की कार्यवाही निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देषानुसार गठित दलो के द्वारा प्रारंभ की जा रही है साथ ही संबंधितों से 15 हजार रूपये प्रति घन्टे के मान से तोड़ने की राषि वसूल की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया नगर निगम के गठित दलो को निर्देषित किया है षहर की मुख्य सड़कों के किनारे नगर निगम की बिना अनुमति निर्माण प्रारंभ पाये जाने पर तोड़ने की कार्यवाही प्रतिदिन की जाये व संबंधितों से 15 हजार रूपये प्रति घन्टे के मान से तोड़ने की राषि वसूल की जाये।
नगर निगम द्वारा बिना अनुमति के निर्माण तोड़ने की कार्यवाही की जा रही है नागरिकों से अपील है कि वे अनुमति के बिना निर्माण कार्य ना करें।

नागरिक व दुकानदार कोविड अनुकूल व्यवहार का पालन करें

रतलाम 03 फरवरी । कलेक्टर एवं प्रषासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री कुमार पुरूशोत्तम के निर्देशानुसार रतलाम जिले में कोरोना संक्रमण को नियंत्रण करने हेतु कोविड अनुकूल व्यवहार अनिवार्य किया गया है।
निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने नागरिकोंए दुकानदारोए व्यावसायिक प्रतिश्ठान मालिकों से अपील की है कि सही तरीके से मास्क लगायें एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य रूप से करें। दूकानों एवं सार्वजनिक स्थानों में 6 नागरिकों से अधिक लोग एकत्रित नहीं होवें। नियमों का पालन अनिवार्य रूप से कर कानूनी कार्यवाही से बचें।

गीला व सूखा कचरा पृथक.पृथक नहीं लेने पर कर्मचारियों के विरूद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 03 फरवरी । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने कचरा संग्रहण वाहन के ड्रायवरए हैल्परए वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारियों को निर्देषित किया है कि वे नगर के प्रत्येक घरए दुकान आदि से प्रतिदिन गीला व सूखा कचरा पृथक.पृथक कचरा संग्रहण करना सुनिष्चित करें अन्यथा ड्रायवरए हैल्परए वार्ड प्रभारी व संबंधित झोन प्रभारी पद से हटाने व बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया यदि किसी भी वार्ड में मिक्स कचरा लेते हुए या कचरा संग्रहण वाहन में मिक्स कचरा डालते हुए पाये जाने पर संबंधित कर्मचारी को पद से हटाने व सेवा से बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी। इसके अलावा उन्होने निर्देषित किया कि प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घरए दुकानए गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक.पृथक कचरा लिया जाये।

प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घरए दुकानए गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक.पृथक कचरा लिये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देषित किया कि दोनो पालियों मंे वार्ड में कचरा संग्रहण वाहन जायेंगे तथा जब तक पुरे वार्ड से 100 प्रतिषत कचरा संग्रहित नहीं कर लिया जाता तब तक वाहन निगम के वर्कषॉप में जमा ना करायें। निगम आयुक्त श्री झारिया ने वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारी को निर्देषित किया है कि वे प्रतिदिन प्रमाणित करेंगे कि उनके वार्ड से 100 प्रतिषत कचरा उठ चुका है।

वार्ड में गंदगी पाई गई तो झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षक के विरूद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 03 फरवरी । स्वच्छ सर्वेक्षण.2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर.1 बनाने हेतु नगर निगम दृढ़ संकल्पित हैए जिसके तहत वार्डो की सड़कए गलीए सार्वजनिक स्थलए नाले.नालियों आदि समुचित सफाई हेतु झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व वार्ड के सफाई संरक्षक पाबंद है। वार्डो में गंदगीए कचरे के ढेरए नाले. नालियों में कचरा पाये जाने पर संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

वार्डो की समुचित साफ.सफाई का दायित्व झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षकों का दायित्व है वे अपने कर्तव्य का निर्वहन पुरी निश्ठा एवं ईमानदारी करें यदि वार्डो में साफ.सफाई नहीं पाई जाती है तो संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

समाचारध्जण्संण्विण्ध्हेमन्तध्03ण्02ण्2022ध्नण्पाण्निगमए रतलामण्